

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 5 जनवरी 2016—पौष 15, शक 1937

गृह (सी-अनुभाग) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2016

क्र. एफ 35-112-2015-दो-सी-1.—चूंकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में यह आवश्यक तथा समीचीन है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का प्रतिषेध किया जाए,

अतएव, मध्यप्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम, 1979 (क्रमांक 10 सन् 1979) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा, दर्शायी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इंकार किए जाने का, दिनांक 05 जनवरी 2016 से तीन माह की अवधि के लिए प्रतिषेध करती है:—

अनुसूची

दुग्ध संकलन, संसाधन एवं वितरण सेवाओं के निर्बाध संसाधन हेतु नियुक्त किये गये (अधिकारी/कर्मचारी) कर्मी (पर्सोनल),
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2016

क्र. एफ 35-112-2015-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 5 जनवरी 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 5th January 2016

F. No. 35-112-2015-II-C-1.—WHEREAS, the State Government is satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to prohibit refusal to work in the essential services specified in the Schedule below;

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Madhya Pradesh Atyavashyak Sewa Sandharan Tatha Vichchinnata Nivaran Adhinyam, 1979 (No. 10 of 1979) the State Government hereby prohibits refusal to work in the essential services specified in the Schedule with effect from 05 January 2016 for a period of three months:—

SCHEDULE

Personnel appointed for all the works related to the Distribution of Milk live stock and veterinary and Animal Husbandry and Poultry Services.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJEEV SHRIVASTAV, Dy. Secy.